संख्याः 206/जलागम/03(05)/2014

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परियोजना निदेशक (ILSP),
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,
देहरादून।

कृषि एवं विपणन अनुभाग(जलागम) देहरादून, दिनांक, 18 जून 2014

विषयः– अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि पोषित समेकित आजीविका सहयोग परियोजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड जलागम विकास इकाई समिति में तकनीकी विशेषज्ञों को संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1571/11–8(1) दिनांक 13 जनवरी, 2014 एवं पत्रसंख्या 2158/11–8(1) (ILSP) दिनांक 04 अप्रैल, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समेकित आजीविका सहयोग परियोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार तकनीकी विशेषज्ञों/कार्मिकों को अनुबन्ध के आधार पर उनके सम्मुख अंकित धनराशि में संविदा पर परियोजना की अवधि तक अथवा शासन द्वारा इससे पूर्व इन पदों को समाप्त न कर दिया जाय, की शर्त के साथ रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

S. No.	Name of the post	No. required	Rate of monthly emoluments specialist. expert
1	Environment Specialist	1	50,000/-
2	Agribusiness Specialist	1	50,000/-
3	Social Development Specialist	1	50,000/-
4	GIS Exxpert	1	50,000/-
5	MIS Specialist	1	50,000/-
6	IEC Expert	1	50,000/-
7	Watershed Expert	1	50,000/-
8	Audit Manager	1	55,000/-
9	Internal Auditor	2	55,000/-
10	Assistants	10	15,000/-
11	Data Entry operator	10	15,000/-

2— उक्त क्रमांक 01 से 09 पर उल्लिखित विशेषज्ञों को जलागम प्रबन्ध निदेशालय के अन्तर्गत आई.एल.एस.पी. परियोजना संचालन हेतु स्थापित सोसायटी, उत्तराखण्ड जलागम विकास इकाई के अन्तर्गत संविदा पर रखा जायेगा तथा क्रमांक 10 एवं 11 पर उल्लिखित कार्मिकों को उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण के माध्यम से रखा जायेगा।

3— संविदा के आधार पर रखे जाने वाले व्यक्तियों से नियमानुसार अनुबन्ध करा लिया जाय।

4— उक्त विशेषज्ञों/कार्मिकों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष के अनुदान संख्या 19 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम—102 सामुदायिक विकास—आयोजनागत—97 आई.एफ.एड. बाह्य सहायतित योजना 20 सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 07(NP)/XXVII(4)/2014 दिनांक 26 मई, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहे हैं।

भवदीय

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव

संख्याः 206(1) **/जलागम/03(05)/2014 दिनांकित**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड इन्दिरानगर, देहरादून।
3. सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढवाल मण्डल, पौडी।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
7. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
8. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. बजट, राकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—4 नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(ओमकार सिंह)
उप सचिव